

23.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० 1
वकील उभयपक्ष की बहस पर मन्तव्य करने एवं
पत्रावली का अवलोकन करने पर उपाधिगण का
शा० पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण
अस्वीकार किया जाता है। शर्त में जारी T-9
नियत की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तयतीव तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय
में सुनाया गया।

RAS
23.04.25
(किरण पाल)
RAS.